



काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
वार्षिक रिपोर्ट  
2021-2022

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सीआईएन: U01409UP2021PTC155262

निदेशक मंडल (26 जुलाई 2022 तक)

निदेशक

श्रीमती अंजू देवी  
श्रीमती आराधना  
श्रीमती ममता सिंह  
श्रीमती बबीता  
श्रीमती सरोज कुमारी

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

डॉ. मनवीर सिंह

कंपनी सचिव

श्रीमती प्रियंका सत्यवली

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एन.आर. एंड एसोशिएट,  
चार्टर्ड अकाउंटेंट

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स रे एंड रे चार्टर्ड एकाउंटेंट

बैंकर्स:

इंडियन बैंक  
आईसीआईसीआई बैंक

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:

9/132-9, सुद्धिपुर, शिवपुर (एयरपोर्ट रोड)

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) -221003

ईमेल: [info@kasheemilk.com](mailto:info@kasheemilk.com)

फोन: [0542-4085526](tel:0542-4085526)

(नोट: हिन्दी भाषा में अनुवादित दूसरी एजीएम प्रतिवेदन और लेखा विवरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/  
असामंजस्यता त्रुटि पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए दस्तावेज़ ही अंतिम रूप से मान्य होंगे। )

## अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं
1	निदेशक की रिपोर्ट	4-11
2	स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट	12-18
3	वार्षिक लेखा विवरण <ul style="list-style-type: none"><li>31 मार्च 2022 को अंखेक्वित आर्थिक चिट्ठा</li><li>31 मार्च 2022 के लिए लाभ हानि खाता</li><li>रोकड़ प्रवाह विवरण</li></ul>	19-21
4	लेखांकन टिप्पणियाँ ( Notes To Accounts)	22-32
5	वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र तथा अनुलग्न	33-46
6	उपस्थिती पर्ची	47
7	प्राप्ति पत्र	48
8	प्रॉक्सि फॉर्म	49-50

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सीआईएन: U01409UP2021PTC155262  
पंजीकृत कार्यालय: 9/132-9, सुद्धिपुर, शिवपुर (एयरपोर्ट रोड), वाराणसी, उत्तर प्रदेश -221003  
ईमेल: [info@kasheemilk.com](mailto:info@kasheemilk.com) फ़ोन: [0542-4085526](tel:0542-4085526)

## निदेशकों की रिपोर्ट

### काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

निदेशकों को 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कंपनी को उत्तर प्रदेश राज्य में कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के तहत 11/11/2021 को एक प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में निगमित किया गया था ताकि सदस्यों के दूध की पूलिंग, खरीद, प्रसंस्करण, विपणन और उन गतिविधियों से निपटने के लिए जो उससे संबंधित किसी भी गतिविधि से संबंधित हैं या उसके लिए प्रासंगिक हैं, का व्यवसाय किया जा सके।

### वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश नीचे दिया गया है:

विवरण	11 नवम्बर 21 से 31 मार्च 22 (₹)
ए. परिचालन से आय	18,47,291
बी. अन्य आय	42,74,183
सी. कुल आय (ए + बी)	6,12,1474
डी. कुल व्यय	60,71,546
ई. कर से पहले लाभ / (हानि) (सी - डी)	49,928
एफ. कर व्यय	8,186
जी. कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि) (ई - एफ)	41,742

### कंपनी के मामलों की स्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिचालन से कुल राजस्व ₹18,47,291 था। इसके अलावा, कंपनी ने ₹ 41,742 का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।

## **लाभांश**

बोर्ड द्वारा लाभांश की कोई सिफारिश नहीं की जा रही है।

## **सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZI के साथ पठित कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद संख्या 11.10 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के कर पश्चात लाभ में से ₹ 41742 को बैलेंस शीट में सामान्य रिजर्व क्रेडिट में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करता है।

## **संचालन समीक्षा**

### **दूध की खरीद**

कंपनी का दूध खरीद कार्य 9 मार्च 2022 को शुरू किया गया था और यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के 50 गांवों में गांव करिन (सकलडीहा), चंदौली में स्थित एक बीएमसी स्थान के माध्यम से संचालित है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 46347.14 लीटर तरल दूध की खरीद की।

वित्तीय वर्ष के अंत में, कंपनी के 544 सदस्य थे। इस प्रकार सदस्यों ने कंपनी के कामकाज में अपना विश्वास दिखाया है। यह स्वस्थ संकेतक कंपनी की विकास गाथा की शुरुआत को दर्शाता है, जो निश्चित रूप से अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों की पारस्परिक सहायता और समर्थन के साथ आने वाले वर्षों में उच्च शिखर पर पहुंच जाएगा।

दूध खरीद कीमतों के संबंध में, कंपनी अपने सदस्यों को उनके द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दूध के लिए प्रतिस्पर्धी और लाभकारी कीमतों का भुगतान करना जारी रखती है। कंपनी दक्षता बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जांच, बेहतर लॉजिस्टिक नियंत्रण आदि जैसे लागत में कमी के उपाय करके उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

### **गुणवत्ता पहल**

दुग्ध उत्पादकों को प्रशिक्षण देकर ग्राम स्तर पर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित किया जाता है। किसानों से मिल्क पूलिंग प्वाइंट तक दूध एकत्र करने और इन एमपीपी से बीएमसी को दूध भेजने के लिए प्रासंगिक मानक परिचालन पद्धति (एसओपी) विकसित किए गए हैं। इसके अलावा सहायक और फील्ड स्टाफ को अच्छी गुणवत्ता वाला दूध एकत्र करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

उपयोग में आने वाला बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) केंद्र कच्चे दूध की गुणवत्ता परीक्षण के लिए बुनियादी परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित है। कंपनी के संचालन में उच्च गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए, कंपनी ने स्वच्छता पर जोर देते हुए सभी संबंधितों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है जो सीधे ही दूध की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है।

परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि दूध उत्पाद, ग्राहक की आवश्यकताओं के साथ-साथ भौतिक, रासायनिक, माइक्रोबियल और दूषित पदार्थों के लिए FSSAI मानकों को पूरा करते हैं।

### **उत्पादकता वृद्धि सेवाएं**

चूंकि कंपनी ने 9 मार्च 2022 को अपना परिचालन शुरू किया था, उत्पादकता वृद्धि सेवाएं (पीईएस) अभी शुरू की जानी बाकी हैं, लेकिन इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। पीईएस के तहत परिचालन क्षेत्र में डेयरी पशुओं को डोरस्टेप कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं, गर्भावस्था निदान, संतुलित पशु चारा, पूर्वाचल विशेष खनिज मिश्रण, मास्टिटिस नियंत्रण और रोकथाम, उच्च उपज चारा बीज, डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण आदि प्रदान किया जाएगा।

### **प्रोड्यूसर इन्स्टीट्यूशन बिल्डिंग (पीआईबी)**

पीआईबी बेहतर शासन और सदस्य-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से व्यवसाय को मजबूत करता है। इन प्रयासों को कंपनी के व्यवसाय में सदस्यता और सदस्य भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप पैमाने की बेहतर अर्थव्यवस्था होती है।

पीआईबी गतिविधियां मुख्य रूप से अपनी खुली और पारदर्शी शासन प्रणाली और उनके संरक्षण के अनुपात में इक्विटी के प्रति सदस्यों के योगदान के माध्यम से डेयरी क्षेत्र में अन्य प्रतिस्पर्धियों से प्रोड्यूसर कंपनी को अलग करती हैं।

### **एमपीसी के मूल डिजाइन सिद्धांत**

कोर डिजाइन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन किया गया। व्यापारिक व्यवहार केवल सदस्यों तक ही सीमित था। सदस्य प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता और व्यापार एवं शासन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान मिलान शेयर पूंजी योगदान को पूरा किया है।

सदस्यों और कंपनी के बीच दोतरफा संचार सुनिश्चित करने के लिए, सदस्यों की शिकायतों को दूर करने के लिए, ग्राम स्तर पर अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए एक उपयुक्त तंत्र शुरू किया जा रहा है। कर्मचारियों को व्यावसायिक संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और जल्द से जल्द व्यवहार्यता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पैमाने की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक और प्रेरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

### **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम**

सदस्यों, संभावित सदस्यों को शामिल करते हुए नए निर्माता सदस्यों को शामिल करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, शायक और फील्ड कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार थे:

क्र. स.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	आईबीपी उन्मुखीकरण कार्यक्रम - फील्ड टीम	01	02
2.	सहायक उन्मुखीकरण कार्यक्रम	01	23

### वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भौतिक परिवर्तन

वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जो 31 मार्च, 2022 के बाद इस रिपोर्ट की तारीख तक हुई हैं। नियामकों और न्यायालयों द्वारा पारित कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश नहीं हैं जो कंपनी की चालू अवस्था और उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करेंगे।

### व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

### शेयर पूंजी और सदस्यता

31 मार्च, 2022 तक, प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 64300 थी जिसमें कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में 544 सदस्य शामिल थे। 31 मार्च, 2021 के बाद, कंपनी ने आवंटित किया है:

आवेदक का प्रकार	दिनांक	शेयर आवेदकों की संख्या	निर्गत शेयरों की संख्या	धनराशि (₹)
NEW	1 <sup>ST</sup> JUNE 2022	241	784	78400
EXISTING	1 <sup>ST</sup> JUNE 2022	371	1813	181300
NEW	26 <sup>TH</sup> JULY 2022	219	733	73300
EXISTING	26 <sup>TH</sup> JULY 2022	337	1930	193000
	<b>TOTAL</b>		<b>52600</b>	<b>526000</b>

इसलिए, इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार सदस्यों की कुल संख्या 1004 सदस्यों की है और 5,90,300 रुपये पर शेयर पूंजी राशि का भुगतान किया गया है।

### मतदान अधिकार और एजीएम में उपस्थिति

वे दुग्ध उत्पादक, जो इस रिपोर्ट की तिथि को सदस्य थे, एजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे। चूंकि कंपनी ने संचालन के बाद एक वर्ष पूरा नहीं किया है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मतदान अधिकार "प्रत्येक सदस्य के लिए एक वोट जिसने कम से कम 200 दिनों और 500 लीटर के लिए दूध डाला है" के लिए मानदंड लागू नहीं होंगे, इसलिए सभी नामांकित निर्माता सदस्य मतदान के लिए पात्र होंगे।

### निदेशक मंडल: -

#### ए) बोर्ड की संरचना

1. श्रीमती अंजू देवी : (डीआईएन - 09395092)
2. श्रीमती आराधना : (डीआईएन - 09395183)
3. श्रीमती ममता सिंह : (डीआईएन - 09395184)
4. श्रीमती बबीता : (डीआईएन - 09395185)
5. श्रीमती सरोज कुमारी : (डीआईएन - 09395186)
6. डॉ मनवीर सिंह : (डीआईएन - 09442343)

## **बी) बोर्ड की संरचना में परिवर्तन**

वर्ष के दौरान बोर्ड की संरचना में किए गए परिवर्तन इस प्रकार हैं:

डॉ मनवीर सिंह को 10 दिसंबर 2021 से कंपनी के मुख्य कार्यकारी और पदेन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

## **निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन**

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) के तहत आवश्यक है, निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

ए) वार्षिक खातों की तैयारी में, कंपनी द्वारा लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

बी) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2022 को कंपनी के मामलों की स्थिति और कंपनी के लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके। उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी।

सी) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है; तथा

डी) निदेशकों ने वार्षिक लेखा को चालू संस्था के आधार पर तैयार किया है।

ई) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

## **लेखा परीक्षक**

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक, मैसर्स एन.आर. एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, एतद्वारा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में इस दूसरी वार्षिक आम सभा के समापन से कंपनी की छठी वार्षिक आम सभा के समापन तक, इस तरह के पारिश्रमिक, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, पर पद धारण करने के लिए फिर से नियुक्त किया गया।

## **लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी**

समीक्षा के वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखा परीक्षक को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत धोखाधड़ी का कोई उदाहरण नहीं मिला।



## **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा परीक्षा**

कंपनी के पास उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो सुनिश्चित करती है कि सभी संपत्तियां सुरक्षित और संरक्षित हैं और लेनदेन अधिकृत, रिकॉर्ड और सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं। खातों की आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की बाहरी फर्म अर्थात् मेसर्स रे और रे, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा नियमित रूप से की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करते हैं और लेखापरीक्षा करते हैं।

## **मानवीय संसाधन**

लोग संपत्ति हैं और कंपनी के प्रदर्शन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कंपनी को विकास हासिल करने में सक्षम बनाया है। कंपनी हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुली और उच्च प्रदर्शन वाली कार्य संस्कृति और वातावरण प्रदान करने का प्रयास करती है जहां नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को मान्यता दी जाती है और कर्मचारियों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

## **सूचना प्रौद्योगिकी**

सूचना प्रौद्योगिकियां कंपनी के विभिन्न कार्यों को सहायता प्रदान करती हैं और सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बनाने में मदद करती हैं। आईटी का मुख्य फोकस संचालन में दक्षता में सुधार के लिए उपयुक्त तकनीक प्रदान करना, सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना और इस तरह राजस्व में वृद्धि करना है। हमारी कंपनी में आईटी हस्तक्षेप सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहे हैं।

## **कर्मचारियों का विवरण**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

## **सुरक्षा और स्वास्थ्य**

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करती है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, विशेष रूप से शारीरिक रूप से दूध को संभालने वाले। कर्मचारियों को नियमित चिकित्सा जांच और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

## **ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:

- i. ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित नियमों के भाग ए और बी वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- ii. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय: अर्जन - शून्य; आउटगो - शून्य।

## **बोर्ड बैठक**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की 6 बैठकें विधिवत बुलाई गईं। विवरण निम्नलिखित हैं:

<b>बोर्ड बैठक</b>	<b>बोर्ड बैठक की तिथि</b>
1 <sup>st</sup>	23.11.2021
2 <sup>nd</sup>	10.12.2021
3 <sup>rd</sup>	11.01.2022
4 <sup>th</sup>	16.02.2022
5 <sup>th</sup>	09.03.2022
6 <sup>th</sup>	30.03.2022

## **ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण**

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं दिया है।

## **संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण**

संबंधित पक्षों के साथ सभी अनुबंध या व्यवस्था हाथ की लंबाई के आधार पर की जाती है। अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोटों में दिखाई देता है।

## **धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हैं:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 12 के तहत कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी के अलावा कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई थी।

## **जोखिम प्रबंधन नीति**

मेसर्स रे और रे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आंतरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर अपना जोखिम मूल्यांकन देते हैं और इन रिपोर्टों को समय-समय पर बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत और चर्चा की जाती है।

## **जमा**

अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल जमाओं से संबंधित विवरण के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोई जमा राशि नहीं थी।

## **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण**

कंपनी अधिनियम के लागू प्रावधान के अनुसार, कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है।

## **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत खुलासा**

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है और एक सुरक्षित कार्यस्थल नीति लागू की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

### **कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी**

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

### **दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

### **सतर्कता तंत्र**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधान कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसके अधिकार) नियम 2013 के नियम 6 और 7 के साथ पठित, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

### **अभिस्वीकृति**

निदेशक मंडल वर्ष के दौरान कंपनी के सदस्यों, बिजनेस एसोसिएट्स और बैंकरों द्वारा उनके निरंतर समर्थन के लिए दिए गए योगदान और समर्थन के लिए अपना ईमानदारी से धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करना चाहता है।

आपके निदेशक भी इस अवसर पर एनआरएलएम, यूपीएसआरएलएम, और एनडीडीबी डेयरी सेवाओं को प्रोत्साहन और निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

बोर्ड कंपनी के सभी कर्मचारियों और सभी संबंधितों के उत्साहपूर्ण सहयोग, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए भी अपनी सराहना करता है, जिसके बिना कंपनी की सर्वांगीण प्रगति और विकास हासिल करना संभव नहीं होता।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

दिनांक:26.07.2022

स्थान: वाराणसी

ह./-

अध्यक्ष

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

### वित्तीय विवरणों की ऑडिट पर रिपोर्ट

#### राय

हमने काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षा करी है, जिसमें 31 मार्च, 2022 को बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, और वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल है। और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी उचित तरीके से प्रदान करते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप, जैसा कि संशोधित है और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और नकदी प्रवाह।

#### राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ है जो अधिनियम और नियमों के अधीन बनाये गए प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं

#### वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण एवं हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्यकथान प्रकट होती है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण मिथ्यकथान विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

## वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित विषय एवंकंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है। इसमें कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव, उचितलेखा नीतियों का चयन और उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना भी शामिल है जो वित्तीय विवरण तैयार करने एवं उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा उसे बनाये रखना है जिससे कंपनी के वित्तीय लेखे कंपनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करे तथा जो धोखेवाजी तथा त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी कोजारी रखने के लिए क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का निर्णय नहीं ले, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

## लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय शामिल है। जोउचित स्थिती का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचितअपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और सम्पूर्णऑडिट के दौरान इसपेशेवर रूप को बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण भौतिक मिथ्यकथन के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली भौतिक मिथ्यकथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिमसे अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्यकथन, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगति और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के गोडंग कंसर्न आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है

जो कंपनी की जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसा प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

• वित्तीय विवरणों की सम्पूर्ण प्रस्तुति, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति देते हो।

हम शासन के प्रभारी लोगों के साथ उन लोगो के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के सम्बन्ध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ पालन किया है जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

**जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं रिपोर्ट है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:**

1. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त करने में सक्षम थे हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
2. हमारी राय में, कंपनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित रूप से बना रखे हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
3. इस रिपोर्ट में वर्णित कंपनी का चिट्ठा, लाभ और हानि का विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण कंपनी के लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
4. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
5. निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए जाने के आधार पर, 31 मार्च, 2022 तक किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
6. कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ए" में हमारी रिपोर्ट देखें।
7. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के भाग IV की धारा 378ZG की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक बी" में उस खंड में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
8. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम:
  - i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमेबाजी नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।
  - ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई निकट नुकसान था।
  - iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
9. अ. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति में कोई धनराशि उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) या संस्थाएं, जिनमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, इस समझ के साथ कि चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ:

- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") उधार या निवेश करें या
- अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।

ब. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से, विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित, इस समझ के साथ कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी:

- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें ("अंतिम लाभार्थी") या फंडिंग पार्टी की ओर से या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा, या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें; तथा

स. ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपखंड 9 (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन है।

10. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए अधिनियम की धारा 123 का अनुपालन लागू नहीं है।

11. अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में: हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को वर्तमान अवधि के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक वर्ष अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है। किसी भी निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 197(16) के तहत अन्य विवरण निर्धारित नहीं किए हैं जिन पर हमारे द्वारा टिप्पणी करने की आवश्यकता है।

ह.

**महुआ भट्टाचारजी**

**सदस्यता संख्या: 508592**

**साझेदार**

**यूडीआईएन:22508592एएनएक्सएनएलडी5763**

**एन.आर. एंड असोसिएट्स के लिए और की ओर से**

**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स**

**(पंजीकरण संख्या: 312101ई)**

**दिल्ली**

**26 जुलाई 2022**

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का **अनुबंध ए**

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता अनुभाग पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 6 में संदर्भित)

**कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट**

हम 31 मार्च, 2022 तक काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा करने के लिए उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में लगे हुए थे।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंड के संदर्भ में (भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी "मार्गदर्शन नोट")। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है। ।

इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना शामिल है। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

**लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी**

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों ("मार्गदर्शन नोट") की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और कंपनियों की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई



प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। हम मानते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में "मामले का जोर" के पैरा में उल्लिखित को छोड़कर हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

#### **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (i) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (ii) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

#### **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के ओवरराइड के अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

#### **राय**

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसे नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के बारे में बताया गया है।

ह.

**महुआ भट्टाचार्य**

सदस्यता संख्या: 508592

साझेदार

यूडीआईएन: 22508592एएनएक्सएनएलडी5763

एन.आर. एंड असोसिएट्स के लिए और की ओर से

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(पंजीकरण संख्या: 312101ई)

दिल्ली

26 जुलाई 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का **अनुबंध ब**

(हमारे सम तिथि की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता अनुभाग पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 7 में संदर्भित)

- i. माल और सेवाओं की बिक्री से देय ऋणों की राशि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 14 में प्रकट की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 14 में प्रकट किए गए किसी भी ऋण को वसूली के लिए संदिग्ध नहीं माना जाता है।
- ii. 31 मार्च, 2022 तक नकद और नकद समकक्ष प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई विसंगति सत्यापित नहीं की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई निवेश प्रतिभूतियां नहीं हैं।
- iii. 31 मार्च, 2022 को संपत्ति और देनदारियों का विवरण कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए है।
- iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता हो।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या अभिदान नहीं दिया है।

ह.

**महुआ भट्टाचार्य**

**सदस्यता संख्या: 508592**

**साझेदार**

**यूडीआईएन:22508592एएनएक्सएनएलडी5763**

**एन.आर. एंड असोसिएट्स के लिए और की ओर से**

**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स**

**(पंजीकरण संख्या: 312101ई)**

**दिल्ली**

**26 जुलाई 2022**

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए चिट्ठा

	नोट संख्या	31.03.2022	31.03.2021
<b>अ समता एवं दायित्व</b>		रुपये	रुपये
<b>1 अंशधारक कोष</b>			
(ए) अंश पूंजी	3	64,300	-
(बी) संचित एवं अधिशेष	4	41,742	-
(सी) शेयर वारंट के खिलाफ प्राप्त धन		-	-
		<b>1,06,402</b>	-
<b>2 आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशी</b>		-	-
<b>3 स्थगित अनुदान</b>	5	72,20,853	-
<b>4 गैर चालू दायित्व</b>			
दीर्घावधि उधार			
अन्य दीर्घकालिक देनदारियां			
(ए) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां			
(बी) दीर्घ अवधि प्रावधान	6	1,11,056	-
		<b>1,11,056</b>	-
<b>5 चालू दायित्व</b>			
(ए) अल्पकालिक उधार			
व्यापारिक देनदारिया	7		
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		18,00,943	-
अन्य चालू दायित्व	8	1,70,40,611	-
लघु अवधि प्रावधान	9	24,896	-
		<b>1,88,66,450</b>	-
<i>योग</i>		<b>2,63,04,400</b>	-
<b>ब संपत्तिया</b>			
<b>1 गैर चालू संपत्तिया</b>			
(ए) संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	10	66,02,882	-
(ii) अमूर्त संपत्ति	10	4,17,710	-
(iii) कार्य में लगी पूंजी	10	73,72,422	-
(बी) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	11	-	-
(सी) दीर्घ अवधि ऋण एवं अधिम	12	-	-
(डी) अन्य गैर-चालू संपत्ति			
		<b>1,43,93,075</b>	-
<b>2 चालू संपत्तिया</b>			
(ए) इन्वेंटरी	13	91,125	-
(बी) व्यापारिक लेनदारिया	14	12,04,615	-
(सी) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	15	1,04,88,942	-
(डी) अल्पकालिक ऋण और अधिम	16	1,26,644	-
(ई) अन्य चालू संपत्ति	17	-	-
		<b>1,19,11,325</b>	-
<i>योग</i>		<b>2,63,04,400</b>	-
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें	2		

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

एन आर असोसिएट्स की ओर से

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन: 312101ई

ह.

महुआ भट्टाचार्य

साझेदार

सदस्यता संख्या: 508592

दिल्ली

26 जुलाई, 2022

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह.

मनवीर सिंह

निदेशक एवं सीई

डीआईएन:9442343

ह.

सरोज कुमारी

निदेशक

डीआईएन:9395186

वाराणसी

26 जुलाई, 2022

ह.

अंजू देवी

निदेशक

डीआईएन:9395092

ह.

प्रियंका सत्यवली

कंपनी सचिव

एम. संख्या A45196

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड			
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण			
	नोट	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	संख्या		
		रुपये	रुपये
1. परिचालन से राजस्व	18	1847291	-
2. अन्य आय	19	4274183	-
<b>3. कुल राजस्व (1+2)</b>		<b>6121474</b>	<b>-</b>
<b>4. व्यय</b>			
(ए) व्यापार में लगे स्टॉक की खरीद	20	17,95,686	-
(बी) व्यवसाय में लगे स्टॉक में परिवर्तन	21	(91,125)	-
(सी) कर्मचारी लाभ व्यय	22	19,81,529	-
(डी) वित्त लागत		-	-
(ई) मूल्यहास और परिशोधन व्यय		-	-
(एफ) अन्य व्यय	23	23,85,456	-
<b>कुल व्यय</b>		<b>60,71,546</b>	<b>-</b>
<b>5. कर पूर्व लाभ (3-4)</b>		<b>49,928</b>	<b>-</b>
<b>6. कर व्यय</b>			
(ए) चालू कर		8,186	-
(बी) आस्थगित कर		-	-
(सी) पहले के वर्षों से संबंधित लघु/(अतिरिक्त) आयकर		-	-
<b>कुल कर व्यय (ए+बी+सी)</b>		<b>8,186</b>	<b>-</b>
<b>7. वर्ष के लिए लाभ (5-6)</b>		<b>41,742</b>	<b>-</b>
<b>प्रति समता अंश आय</b>			
(नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये प्रति अंश)			
(ए) मूल	24	247	-
(बी) डाईल्यूटेड		247	-
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें 2			

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में  
एन आर असोसिएट्स की ओर से

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन: 312101ई

ह.

महुआ भट्टाचार्य

साझेदार

सदस्यता संख्या: 508592

दिल्ली

26 जुलाई, 2022

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह.

मनवीर सिंह

निदेशक एवं सीई

डीआईएन:9442343

ह.

सरोज कुमारी

निदेशक

डीआईएन:9395186

वाराणसी

26 जुलाई, 2022

ह.

अंजू देवी

निदेशक

डीआईएन:9395092

ह.

प्रियंका सत्यवली

कंपनी सचिव

एम. संख्या A45196

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड		
31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण		
	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए रूपये	31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए रूपये
<b>ए परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह</b>		
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	41,742	-
समायोजन के लिए		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	1,11,056	
वित्त लागत		
मूल्याहस एवं परिशोधन व्यय		-
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति की बिक्री पर हानि / (लाभ)		
अनुदान से प्राप्त व्याज		-
<b>कार्यशील पूंजी में बदलाव से पूर्व परिचालन लाभ</b>	<b>1,52,798</b>	<b>-</b>
<b>कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए समायोजन</b>		
इन्वेंटरी में कमी / (वृद्धि)	(91,125)	-
व्यापार प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)	(12,04,615)	-
ऋण और अग्रिम में कमी/(वृद्धि)	(1,26,644)	-
व्यापारिक देयताओं में वृद्धि/(कमी)	18,00,943	-
अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	1,70,40,611	-
अल्पकालिक प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	24,896	-
संचालन से उत्पन्न नकद	<b>1,74,44,066</b>	<b>-</b>
शुद्ध आयकर (भुगतान किया गया)/धनवापसी	-	-
<b>परिचालन गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह (ए)</b>	<b>1,75,96,864</b>	<b>-</b>
<b>बी विनियोग गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह</b>		
सीडब्ल्यूआईपी सहित संपत्ति, संयंत्र उपकरण और अमूर्त	(71,72,222)	-
प्राप्त व्याज	-	-
प्रावधान- गैर चालू	-	-
	-	-
<b>विनियोगात्मक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह</b>	<b>(71,72,222)</b>	<b>-</b>
भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर		
<b>सी वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह</b>		
इन्विट्टी शेयर जारी करने से प्राप्तिया	64,300	-
दीर्घकालीन उधार से प्राप्तिया		
कार्यशील पूंजी उधार में निवल वृद्धि/(कमी)		
लाभान्श दिया	-	-
<b>वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह</b>	<b>64,300</b>	<b>-</b>
<b>रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में शुद्ध कमी / वृद्धि</b>	<b>1,04,88,942</b>	<b>-</b>
जोड़े रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य का प्रारंभिक शेष	-	-
अंतिम रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	1,04,88,942	-
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें		

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

एन आर असोसिएट्स की ओर से

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन: 312101ई

ह.

महुआ भट्टाचार्य

साझेदार

सदस्यता संख्या: 508592

दिल्ली

26 जुलाई, 2022

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह.

मनवीर सिंह

निदेशक एवं सीई

डीआईएन:9442343

ह.

सरोज कुमारी

निदेशक

डीआईएन:9395186

वाराणसी

26 जुलाई, 2022

ह.

अंजू देवी

निदेशक

डीआईएन:9395092

ह.

प्रियंका सत्यवती

कंपनी सचिव

एम. संख्या A45196

**काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड**  
**वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियाँ**

**1. कॉर्पोरेट जानकारी**

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के तहत 11,2021 नवंबर को निर्गमित किया गया था। कंपनी ने 9 मार्च, 2022 से उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में खरीद कार्य शुरू कर दिया है। कंपनी वाराणसी और उसके आसपास के गांवों में "मिल्क प्लानिंग पॉइंट्स" (एमपीपी) के माध्यम से दूध उत्पादकों से सीधे दूध खरीदती है और इसे मटर डेयरी फूट एंड वेंजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड और खुले बाजार में अन्य डेयरियां को बेचती है।

**2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां**

**ए लेखांकन का आधार**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन

**बी अनुमानों का उपयोग**

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय के अनुसार परिसंपत्तियां और देनदारियां (आकस्मिक देनदारियां सहित) की रिपोर्ट की गई मात्रा में अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम जात / भौतिक होते हैं।

**सी राजस्व मान्यता**

खरीदारों को महत्वपूर्ण जोखिमों और स्वामित्व के पुरस्कारों के हस्तान्तरण पर, बिस्की को मान्यता दी जाती है, रिटर्न और व्यापार छूट का शुद्ध, जो आम तौर पर ग्राहकों को माल की डिलीवरी के साथ मेल खाता है।

**डी अन्य आय**

जमाराशियों पर ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है, सदस्यों से प्रवेश शुल्क को उपार्जन के आधार पर और राजस्व अनुदान को प्रोद्देभन आधार पर उपयोग किया जाता है।

**ई संपत्ति, संबंध और उपकरण और अमूर्त संपत्ति**

"स्थायी संपत्ति लागत कम संचित मूल्यहास / परिशोधन और हानि हानि, यदि कोई हो, पर ले जाया जाता है। अचल संपत्तियों की लागत में किसी भी व्यापार छूट और छूट, किसी भी आयात शुल्क और अन्य करों (बाद में वसूली योग्य लोगों के अलावा) की खरीद मूल्य शामिल है। कर प्राधिकरण), संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर कोई प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय, अन्य आकस्मिक व्यय और अर्हक अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के कारण उधार पर ब्याज, उस तिथि तक संपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार है। अचल संपत्तियों पर बाद में व्यय इसकी खरीद/पूर्ण होने के बाद ही पूंजीकृत किया जाता है यदि इस तरह के व्यय के

**एफ कार्यरत पूंजी**

संपत्ति अभी तक अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, लागत पर ले जाया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक व्यय और जिम्मेदार ब्याज शामिल हैं।

**जी मूल्यहास और परिशोधन**

- (i) निम्नलिखित श्रेणियों की परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार स्ट्रेट-लाइन पद्धति पर मूल अचल संपत्तियों पर मूल्यहास प्रदान किया गया है। संपत्ति के जीवन का आकलन तबनीकी सलाह के आधार पर किया गया है, संपत्ति की प्रकृति, परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोग, परिसंपत्ति की परिचालन स्थितियों, प्रतिस्थापन के पिछले इतिहास, प्रत्याशित तबनीकी परिवर्तन निर्माताओं की वारंटी और रखरखाव समर्थन आदि को ध्यान में रखते हुए।

संपत्ति का प्रकार	उपयोगी जीवन
मिल्क कैन	4 वर्ष
प्लांट और मशीनरी	10 वर्ष
कंप्यूटर	3 वर्ष
फर्नीचर और फिक्स्चर्स	10 वर्ष
ऑफिस उपकरण	3 वर्ष
सॉफ्टवेयर	1 वर्ष

- (ii) अचल संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य 1 रुपये प्रत्येक पर रखा जाता है।

**एच संपत्तियों की क्षति**

"यदि क्षति का कोई संकेत मौजूद है, तो प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर परिसंपत्तियों / नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के वहन मूल्यों की समीक्षा की जाती है। निम्नलिखित अमूर्त संपत्ति को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हानि के लिए परीक्षण किया जाता है, भले ही कोई संकेत न हो कि संपत्ति खराब है:

**आई इनवेंटरी**

अपचलन और अन्य हानियों के लिए प्रावधान करने के बाद, जहां आवश्यक समझा जाता है, इन्वेंट्री का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। भारित औसत विधि का उपयोग करके लागत निर्धारित की जाती है। लागत में इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए किए गए सभी शुल्क शामिल हैं।

**जे अनुदान**

सरकारी अनुदान और सब्सिडी को मान्यता दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान/सब्सिडी प्राप्त की जाएगी। मूल्यहास योग्य संपत्ति, संबंध और उपकरणों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, अर्थात् ऐसे अनुदानों से प्राप्त संपत्ति पर मूल्यहास को विनियोजित किया जाता है। आस्थगित अनुदान से और कम राजस्व अनुदान और सब्सिडी को आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

**के कर्मचारी लाभ**

**ए अन्त्यावधि**

"कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को वर्ष के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। इन लाभों में प्रदर्शन प्रोत्साहन और मुआवजा अनुपस्थिति शामिल हैं जो बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद है उस अवधि की समाप्ति के बाद जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियाँ

**बी दीर्घवधि**

कंपनी के पास परिभाषित-योगदान और परिभाषित-लाभ दोनों योजनाएं हैं। परिभाषित लाभ योजना में विशेष निधियों या प्रतिभूतियों या कुछ संघटियां होती हैं और योजना को कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

**"I. परिभाषित-योगदान योजनाएं**

**"II. परिभाषित-लाभ योजनाएं**

**एल आय पर कर**

वर्तमान कर लागू कर दरों और आयकर अधिनियम, 1961 और अन्य लागू कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर की राशि है।

आस्थगित कर को समय के अंतर पर मान्यता दी जाती है, कर योग्य आय और एक अवधि में उत्पन्न होने वाली लेखा आय के बीच अंतर होने के कारण और एक या अधिक बाद की अवधि में उद्क्रमण करने में सहाम होते हैं। आस्थगित कर को कर दरों और रिपोजिटिंग तिथि के अनुसार अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी समय के अंतरों के लिए मान्यता प्राप्त है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अनवशोषित मूल्यहास के अलावा अन्य मटों के समय के अंतर के लिए पहचाना जाता है और मुकसान को केवल उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है, जहां उचित निश्चितता मौजूद हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, अगर अनवशोषित मूल्यहास है और मुकसान को आगे ले जाता है, तो आस्थगित कर संपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है, जब ठोस सबूत द्वारा समर्थित आभासी निश्चितता हो, कि संपत्ति का एहसास करने के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है यदि ऐसी वस्तुएं समान शासी कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं और कंपनी के पास इस तरह के समायोजन के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलना पर तिथि पर उनकी वस्तुओं के लिए की जाती है। संघय में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान और आस्थगित कर को भंडार में मान्यता दी जाती है न कि लाभ और हानि के विवरण में।

**एम प्रावधान और आकस्मिकताएं**

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि संसाधनों के बहिर्गर्ह की आवश्यकता उस दायित्व को निपटाने के लिए होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान (सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य में पूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है। नोट्स में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया गया है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तरियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

**एन बॉरोइंग कॉस्ट**

बॉरोइंग कॉस्ट में ब्याज, सहायक लागतों का परिशोधन और विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस सीमा तक शामिल किया जाता है, जिसे उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है। ऋण की अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण के लिए योग्य संपत्ति के अधिग्रहण से सीधे संबंधित नहीं होने की सीमा तक धन के उधार के संबंध में लागते वस्तु की जाती हैं। अहंक संपत्ति के निर्माण/विकास से संबंधित गतिविधियों के शुरू होने से लेकर ऐसी संपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित उधार की लागत, अहंक संपत्ति के लिए आवंटित और उपयोग की गई, संपत्ति की लागत में जोड़ दी जाती है। उधार लेने की लागत का पूंजीकरण निव्वलित कर दिया जाता है और विस्तारित अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण पर आरोपित किया जाता है, जब योग्य संपत्ति पर सक्रिय विकास गतिविधि बाधित होती है।

**ओ प्रति शेयर आय**

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से कर के बाद लाभ / (हानि) (असाधारण वस्तुओं के कर के बाद के प्रभाव, यदि कोई हो) को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर पतला आय की गणना कर के बाद लाभ / (हानि) को विभाजित करके (असाधारण वस्तुओं के कर के बाद के प्रभाव, यदि कोई हो) को विभाजित करके की जाती है, जैसा कि लाभों, ब्याज और अन्य शुल्क से संबंधित व्यय या आय (किसी भी जिम्मेदार करों का शुद्ध) के लिए समायोजित किया जाता है। प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या और सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या द्वारा कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के लिए। संभावित इक्विटी शेयरों को केवल तभी पतला माना जाता है जब इक्विटी शेयरों में उनके रूपांतरण से सामान्य परिचालन जारी रखने से प्रति शेयर शुद्ध लाभ कम हो जाएगा। संभावित ड्राइन्पूटिव इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरुआत में परिवर्तित माना जाता है, जब तक कि उन्हें बाद की तारीख में जारी नहीं किया गया हो।

**पी लीज**

लीज व्यवस्था जहां एक परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक जोखिम और पुरस्कार पट्टेदार के पास काफी हद तक निहित होते हैं, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में मान्यता दी जाती है। ऑपरेटिंग लीज के तहत लीज रेटल को लीज टर्म में स्ट्रेट-लाइन आधार पर लाभ और हानि के स्टेटमेंट में मान्यता दी जाती है।

**क्यू नकद प्रवाह विवरण**

अप्रत्याक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह की सूचना दी जाती है, जिससे असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ / (हानि) गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगित या प्रोद्भवन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

**आर महत्वपूर्ण घटनाएं**

बैलेंस शीट की तारीख के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को संज्ञान में लिया जाता है।

**एस नकद और नकद समकक्ष (नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए)**

कैश ऑन हैंड और बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट शामिल हैं। नकद समकक्ष अल्पकालिक शेष राशि (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश जो आसानी से नकदी की जात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

**टी परिचालन चक्र**

"कंपनी के उत्पादों / गतिविधियों की प्रकृति और संपत्ति के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्षों में उनकी वस्तुओं के बीच के सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी संपत्ति और देनदारियों को वर्तमान और गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

**काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड**  
**वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियाँ**

**नोट: 3 अंश पूंजी**

विवरण	31, मार्च 2022 को		31, मार्च 2021 को	
	अंशों की संख्या	राशि (रुपये)	अंशों की संख्या	राशि (रुपये)
	(a) अधिकृत अंश पूंजी			
रुपये 100/- प्रत्येक के 5,00,000 समता अंश	5,00,000	5,00,00,000	-	-
(b) जारी निर्गमित और पेडअप				
रुपये 100/- प्रत्येक के 643 पूर्ण प्रदत्त समता अंश+ नीचे (i) से (iv) तक के नोट देखें	643	64,300	-	-
(i) अंशों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध				
कंपनी के पास शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसे इक्विटी शेयर कहा जाता है, जिसका मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा, बशर्ते कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार सदस्य सीमित रिटर्न (लाभांश) और बोनस के हकदार हैं।				
(ii) वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों का मिलान				
रुपये 100/- प्रत्येक के समता अंश				
		31, मार्च 2022 को		31, मार्च 2021 को
	अंशों की संख्या	राशि (रुपये)	अंशों की संख्या	राशि (रुपये)
साल की शुरुआत में बकाया शेयर	-	-	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर (सरेंडर किए गए शेयरों का निवल	643	64,300	-	-
कम: वर्ष के दौरान रद्द किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत तक	<u>643</u>	<u>64,300</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(iii)। कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के तहत 'निर्माता कंपनी' के रूप में पंजीकृत है और किसी भी सदस्य के पास कंपनी की शेयर पूंजी

(iv)। वर्ष के दौरान नकद या बोनस के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।



काशी मिलक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियाँ

नोट : 4 संघ और अधिशेष	विवरण	31, मार्च 2022 को रुपये	31, मार्च 2021 को रुपये
(ए) सामान्य संघ			
	प्रारंभिक शेष	-	-
	जोड़े: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से स्थानांतरित	41,742	-
	अंतिम शेष	41,742	-
(बी) लाभ और हानि खाते के विवरण में अधिशेष			
	अंतिम बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार शेष राशि		
	वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	41,742	-
	घटा: सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	(41,742)	-
	अंतिम शेष	-	-
नोट : 5 आस्थित अनुदान	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
(ए) प्रारंभिक शेष			
(बी) जोड़े: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पुंजीगत अनुदान (नोट संख्या 32 देखें)		73,30,975	-
(सी) कम: वर्ष के दौरान निपटाई गई संपत्ति		-	-
(डी) घटा: अनुदान से अर्जित संपत्ति से संबंधित मूल्यहास (नोट संख्या 10 देखें)		(1,10,122)	-
(ई) जोड़े: संपत्ति के निपटान पर मूल्यहास		-	-
	जमा शेष	72,20,853	-
नोट : 6 दीर्घकालिक प्रावधान	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
	उपदान के लिए प्रावधान	65,755	-
	छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	45,301	-
		1,11,056	-
नोट : 7 व्यापार देय काल प्रभावित अनुसूची		31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
			कुल
(i) एमएसएमई को देय राशि	-	-	-
(ii) अन्य देय राशि	18,00,943	-	18,00,943
(iii) विवादित बकाया एमएसएमई	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि अन्य	-	-	-
			18,00,943
नोट : 8 अन्य धातु दायित्व	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
(ए) कर्मचारियों को देय		1,49,128	-
(बी) शेयर समर्पण		-	-
(सी) अन्य वर्तमान देनदारियाँ		2,24,761	-
(डी) देय खेत पर आयकर कटौती		2,78,730	-
(ई) भविष्य निधि देय		-	-
(च) देय जोएसटी (आईटीसी का शुद्ध)		8,907	-
(छ) प्राप्त अनुदान (उपयोग का शुद्ध) (नोट 32 देखें)		21,76,325	-
(ज) सुरक्षा जमा		20,10,000	-
(झ) देनदारों से अग्रिम		2,836	-
(ण) अचल संपत्तियों की खरीद के लिए देय (* नोट)		1,21,89,924	-
		1,70,40,611	-
*नोट: अचल संपत्तियों की खरीद के लिए देय 1,17,22,265 रुपये के एमएसएमई विक्रेताओं को देय राशि शामिल है।			
नोट : 9 लघुकालीन प्रावधान	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
(ए) आयकर के लिए प्रावधान* (शुद्ध)		8,186	-
(बी) उपदान के लिए प्रावधान		259	-
(सी) प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए प्रावधान		-	-
(डी) बोनस के लिए प्रावधान		10,489	-
(ई) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान		5,962	-
		24,896	-
नोट : 11 आस्थित कर परिसंपत्तियाँ	विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
	अंतिम तुल्य पत्र की तिथि के अनुसार शेष/(देयता)	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए परिवर्तन		
	अचल संपत्तियों के बूक बैलेंस और टैक्स बैलेंस के बीच अंतर पर	-	-
	बोनस, वेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के प्रावधान पर	-	-
	भविष्य के वर्षों में परिशोधन के लिए उपलब्ध सीमा तक प्रारंभिक व्यय पर	-	-
		-	-
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-बीए के तहत उपलब्ध कटौती पर विचार करते हुए आस्थित कर को मान्यता नहीं दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप कोई समय अंतर नहीं होता है।		

नोट : 12 संबन्धी अवधि के ऋण और अयोग्य

विवरण	31, मार्च	31, मार्च
	2022 को	2021 को
(ए) प्रतिभू अयोग्य कार्यालय	-	-
(बी) प्रतिभू अयोग्य स्टोर	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

नोट : 13 इनवेंटरी

(लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के कम पर)

विवरण	31, मार्च	31, मार्च
	2022 को	2021 को
(ए) व्यापार में स्टॉक कच्चा दूध	91,125	-
(बी) मवेशी घास	-	-
(सी) रसायन, उपभोग्य और टैग	-	-
	<u>91,125</u>	<u>-</u>

नोट : 14 व्यापार प्राप्य काल प्रभावित अनुसूची

विवरण	31, मार्च 2022 को				31, मार्च	
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				2021 को	
	6 महीने से कम	6 महीने से	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से कम	Total
		1 वर्ष				
(ए) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियों को अछड़ा माना जाता है	120,4615	-	-	-	-	12,04,615
(बी) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(सी) विवादित व्यापार प्राप्तियों को अछड़ा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(डी) विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
						<u>12,04,615</u>

नोट : 15 नकद और नकदी के समतुल्य

विवरण	31, मार्च	31, मार्च
	2022 को	2021 को
(ए) नकद और नकद समकक्ष		
(i) नकद हस्ते	-	-
(ii) बैंकों के साथ शेष राशि		
क) चालू खातों में	1,04,88,942	-
एस 3-केश फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	<u>1,04,88,942</u>	<u>-</u>
(बी) अन्य बैंक बैलेंस		
(i) जमा खातों में	-	-
(ii) प्रतिभूति के रूप में धारित शेष राशि	-	-
(iii) निर्धारित खातों में	-	-
	<u>1,04,88,942</u>	<u>-</u>

नोट : 16 सधु अवधि के ऋण और अयोग्य

(असुरक्षित, अछड़ा माना जाता है)

विवरण	31, मार्च	31, मार्च
	2022 को	2021 को
(ए) विक्रेताओं को अयोग्य	-	-
(बी) पीपेड खर्च	72,644	-
(सी) प्रतिभूति अयोग्य कार्यालय	10,000	-
(डी) प्रतिभूति अयोग्य स्टोर	44,000	-
(ई) अन्य अयोग्य	-	-
	<u>1,26,644</u>	<u>-</u>

नोट : 17 अन्य धातु संपत्तियां

(असुरक्षित, अछड़ा माना जाता है)

विवरण	31, मार्च	31, मार्च
	2022 को	2021 को
(ए) ध्याज अर्जित लेकिन बैंक जमा पर देय नहीं	-	-
(बी) अन्य	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

नोट : 18 संचालन से राजस्व

विवरण	31, मार्च	31, मार्च
	2022 को	2021 को
व्यापारित माल		
(ए) कच्चा दूध	18,47,291	-
(बी) मवेशी घास	-	-
(सी) खनिज मिश्रण	-	-
	<u>18,47,291</u>	<u>-</u>

नोट : 19 अन्य आय

	विवरण	31, मार्च	31, मार्च
		2022 को	2021 को
(ए) सदस्यों से प्रवेश शुल्क		22,584	-
(बी) अनुदान से आय		42,42,700	-
(सी) निविदा शुल्क		8,899	-
		<u>42,74,183</u>	<u>-</u>

नोट : 20 व्यापार में स्टॉक की खरीद

	विवरण	31, मार्च	31, मार्च
		2022 को	2021 को
(ए) कच्चा थोक दूध		17,95,686	-
(बी) मवेशी घारा		-	-
(सी) खनिज मिश्रण		-	-
		<u>17,95,686</u>	<u>-</u>

नोट : 21 स्टॉक-इन-स्ट्रेट की इनवेंटरी में परिवर्तन

	विवरण	31, मार्च	31, मार्च
		2022 को	2021 को
कच्चे दूध के व्यापार में स्टॉक की सूची में कमी(वृद्धि)		-	-
(ए) वर्ष की शुरुआत में सूची		-	-
(बी) वर्ष के अंत में सूची		91,125	-
इनवेंटरी में शुद्ध कमी(वृद्धि)		<u>(91,125)</u>	<u>-</u>

नोट : 22 कर्मचारी लाभ व्यय

	विवरण	31, मार्च	31, मार्च
		2022 को	2021 को
(ए) वेतन और मजदूरी		19,76,070	-
(बी) भविष्य निधि और अन्य तिथियों के लिए योगदान		-	-
(सी) कर्मचारी कल्याण व्यय		5,459	-
		<u>19,81,529</u>	<u>-</u>

नोट : 23 अन्य खर्च

	विवरण	31, मार्च	31, मार्च
		2022 को	2021 को
स्टोर और पुर्जों की खपत		60,294	-
फ्रेट, कार्टेज और असेपण व्यय		1,63,958	-
शक्ति और ईंधन		77,356	-
क्रिया		87,000	-
दरें और कर		9,700	-
रिटैनेरशिप संचिदात्मक व्यय		3,51,665	-
मरम्मत और रखरखाव - अन्य		6,549	-
मरम्मत और रखरखाव - कंप्यूटर		13,325	-
बैंक प्रभार		163	-
सहायकों को प्रोत्साहन और कमीशन		(21,605)	-
श्रम शुल्क		24,296	-
यात्रा और परिवहन		3,44,334	-
प्रशिक्षण व्यय		22,131	-
संचार और नेटवर्किंग खर्च		22,852	-
छपाई और लेखन सामग्री		1,17,358	-
पेशेवर शुल्क		81,266	-
बैंक व्यय		55,645	-
विविध व्यय		4	-
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक (नीचे नोट (1) देखें)		53,100	-
निगमन पूर्व व्यय		9,16,065	-
		<u>23,85,456</u>	<u>-</u>
		<u>23,85,456</u>	<u>-</u>

नोट

(1) सेवा परीक्षकों को पारिश्रमिक

	31, मार्च	31, मार्च
	2022 को	2021 को
(ए) सांविधिक सेवा परीक्षा शुल्क	45,000	-
(बी) टेक्स ऑडिट शुल्क	-	-
(सी) उपर पर जीएसटी	8,100	-
	<u>53,100</u>	<u>-</u>

काशी मिन्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली रिपॉजिबिलिटी

नोट : 24 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
	रुपये	रुपये
आकस्मिक देयताएं		
कंपनी के खिलाफ दावा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	निल	निल
प्रतिबद्धताएं		
पूजोगत खते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और प्रदान	63593470	-
	<b>63593470</b>	

नोट : 25 अभियोग

विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
	रुपये	रुपये
किसी भी ग्राहक, सेवा प्रदाता, लेनदारों, कर्मचारियों के साथ संबंधित मुकदमेबाजी या विवाद, सरकारी प्राधिकरण और अन्य हितधारक।	निल	निल
वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर संबंधित मुकदमों का प्रभाव	निल	निल
	-	-

नोट : 26 कंपनी दूध के व्यापार के एकल व्यवसाय खंड में लगी हुई है और भारत में एकल भौगोलिक खंड में काम करती है। इसलिए खंड रिपोर्टिंग पर लेखा मानक (एएस) - 17 के तहत आवश्यक

नोट : 27 पट्टे की व्यवस्था

कंपनी ने परिचालन पट्टे पर परिसर से लिया है। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए पट्टे के किराये को लेखा मानक 19 (एएस 19) "पट्टे" के अनुसार व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

कंपनी ने कार्यालय परिसर, बीएससी और स्टोर के लिए तीन परिचालन पट्टे की व्यवस्था की है। परिचालन पट्टे के तहत दायित्व के संबंध में रु. 95,643/- (जिसमें से रु. 8,643/-, पूर्व निगमन लागत से संबंधित है) के पट्टे के किराये के खर्च को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान हैं:

विवरण	31, मार्च 2022 को	31, मार्च 2021 को
	रुपये	रुपये
1 वर्ष से बाद में देय नहीं	3,77,357	-
1 साल से बाद में देय लेकिन 5 साल से बाद में नहीं	-	-
	<b>3,77,357</b>	

नोट : 28 प्रति इन्विंटी शेयर आय

विवरण	यूनिट	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
		रुपये	रुपये
कर के बाद शुद्ध लाभ	रुपये	41,742	-
वर्ष के दौरान बकाया इन्विंटी शेयरों की भारत और संख्या	संख्या	169	-
प्रति इन्विंटी शेयर नोमिनल वेल्यु		100	-
प्रति शेयर मूल कमाई		247	-
प्रति शेयर डायलैट आय की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इन्विंटी शेयर		169	-
प्रति शेयर डायलैट आय		247	-

नोट : 29 "कर्मचारी लाभ" पर संशोधित लेखा मानक 15 (एएस-15) के अनुसार प्रकटीकरण

ए परिभाषित योगदान योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि के रूप में परिभाषित योगदान योजना प्रदान करती है, जिसमें सभी नियमित कर्मचारी शामिल हैं। भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
रुपये	रुपये

पॉविडेंट फंड योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

बी परिभाषित लाभ योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को पेंशन योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित लाभ योजनाएं प्रदान करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारियों के वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त पेंशन और राशि के संबंध में परिभाषित लाभ योजना की वित्तीय स्थिति।

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
	रुपये	रुपये
<b>I. लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन</b>		
वर्ष की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	-	-
वर्तमान सेवा लागत	66,014	-
व्याज लागत	-	-
भुगतान किया गया लाभ	-	-
बीमांकिक हानियां (लाभ)	-	-
31.03.2022 को लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	<b>66,014</b>	
<b>II. योजनागत अस्तिसरों के उचित मूल्य में परिवर्तन</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	-	-
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	-	-
कंपनी योगदान	-	-
भुगतान किया गया लाभ	-	-
बीमांकिक हानियां (लाभ)	-	-
31.03.2022 को योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य		
<b>III. योजना संपत्ति पर वापसी</b>		
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	-	-
बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
योजनागत अस्तिसरों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	-	-

**iv. बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि**

31.03.2022 को लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	66,014	-
31.03.2022 को योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
<b>शुद्ध दायित्व / (संपत्ति) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त</b>	<b>66,014</b>	<b>-</b>

**v. लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय**

वर्तमान सेवा लागत	66,014	-
व्याज लागत	-	-
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	-	-
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि (लाभ)	-	-
<b>लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय</b>	<b>66,014</b>	<b>-</b>

**vi. बैलेंस शीट पहचान**

वर्ष की शुरुआत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)	-	-
ऊपर के रूप में खर्च	66,014	-
योगदान	-	-
<b>वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)</b>	<b>66,014</b>	<b>-</b>

**vii. प्रधान बीमांकिक अनुमान**

छूट की दर	7.52% p.a.	-
अपेक्षित वेतन वृद्धि	7.00% p.a.	-
आर्कषक मूल्य	5.00% p.a.	-
(कम उम्र में 5% और बड़ी उम्र में स्नातक स्तर के अनुसार 1% तक कम करना)		
मृत्यु दर तात्किक प्रयुक्त		

आई. ए. एल. एम. (2012-14) अल्टीमेट

31 मार्च 2022 तक  
रुपये

31 मार्च 2021 तक  
रुपये

**सी. मुआवजा अनुपस्थिति के लिए बीमांकिक अनुमान (दायित्व छोड़े)**

**i. लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

वर्ष की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	-	-
वर्तमान सेवा लागत	51,263	-
व्याज लागत	-	-
भुगतान किया गया लाभ	-	-
बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	-	-
31.03.2022 को लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	<b>51,263</b>	<b>-</b>

**ii. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**

वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	-	-
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	-	-
कंपनी योगदान	-	-
भुगतान किया गया लाभ	-	-
बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	-	-
31.03.2022 को योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य	<b>-</b>	<b>-</b>

**iii. योजना संपत्ति पर वापसी**

योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	-	-
बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	-	-

**iv. बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि**

31.03.2022 को लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	51,263	-
31.03.2021 को योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
<b>शुद्ध दायित्व / (संपत्ति) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त</b>	<b>51,263</b>	<b>-</b>

**v. लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय**

वर्तमान सेवा लागत	51,263	-
व्याज लागत	-	-
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	-	-
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि (लाभ)	-	-
<b>लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय</b>	<b>51,263</b>	<b>-</b>

**vi. बैलेंस शीट पहचान**

वर्ष की शुरुआत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)	-	-
ऊपर के रूप में खर्च	51,263	-
योगदान	-	-
<b>वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)</b>	<b>51,263</b>	<b>-</b>

**vii. प्रधान बीमांकिक अनुमान**

छूट की दर	7.52% p.a.	-
अपेक्षित वेतन वृद्धि	7.00% p.a.	-
आर्कषक मूल्य	5.00% p.a.	-
(कम उम्र में 5% और बड़ी उम्र में स्नातक स्तर के अनुसार 1% तक कम करना)		
मृत्यु दर तात्किक प्रयुक्त		

आई. ए. एल. एम. (2012-14) अल्टीमेट

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
	रुपये	रुपये
<b>डी. अनुभव समायोजन</b>		
<b>रेगुलरी</b>		
परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	66,014	-
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-
वित्त पोषित स्थिति	66,014	-
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	-	-
योजना संपत्ति पर लाभ/(हानि)	-	-

<b>सीव दायित्व</b>		
परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	51,263	-
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-
वित्त पोषित स्थिति	51,263	-
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	-	-
योजना संपत्ति पर लाभ/(हानि)	-	-

क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति के लिए देयता के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली बीमांकिक धारणाएं उपरोक्त III के समान हैं

नोट : 30 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:

क. संबंधित पक्षों का नाम और संबंधों की प्रकृति

रिश्ते की प्रकृति	व्यक्ति का नाम
प्रमुख प्रबंधन कार्यात्मक	श्री मनवीर सिंह (मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक)

बी. संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

वर्ष के दौरान लेनदेन	राशि रुपये में	
	केएमपी	कुल
1. आय	-	-
2. व्यय		
प्रबंधकीय पारिश्रमिक	8,53,498	8,53,498
	(-)	(-)
व्यय प्रतिपूर्ति	-	-
	(-)	(-)
3. वर्ष के अंत में शेष राशि		
देय व्यय	9,500	9,500
	(-)	(-)

\*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े दर्शाते हैं

नोट : 31 Details of Grants:

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
	रुपये	रुपये
उपरोक्त राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से प्राप्त अनुदान का विवरण और इसका उपयोग निम्नानुसार है;		
a शेष राशि आगे ले जाया गया	-	-
b वर्ष के दौरान प्राप्त	1,37,50,000	-
c अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज	-	-
d वर्ष के दौरान उपयोग किया गया		
- संपत्ति संबंधित और उपकरण के लिए (बमूली का शुद्ध)	21,06,973	-
- पूंजीगत कार्य प्रगति पर हैं	2,00,200	-
- राजस्व व्यय के लिए	30,40,377	-
कुल उपयोग	53,47,550	-
e को वापस किया गया	-	-
f अभयुक्त अनुदान	84,02,450	-
g घटाएं: 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पात्र परिचालन व्यय अनुदान से उपयोग किए जाएंगे	12,02,323	-
घटा: 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पात्र पूंजीगत व्यय का अनुदान से उपयोग किया जाएगा	50,23,802	-
शेष राशि अर्धवित्त (f-g)	21,76,325	-

नोट 1: पूंजीगत संपत्ति की खरीद के लिए उपयोग किए गए अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है और उपयोग किए गए राजस्व अनुदान को अन्य आय के तहत दिखाया

नोट : 32 हानि क्षति

31 मार्च, 2022 को लेखा मानक '28' के अनुसार प्रबंधन द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर अचल संपत्तियों पर कोई हानि नहीं हुई थी।

नोट : 33 प्रबंधन की राय में लेनदारों के खातों में शेष राशि सही और सही है और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में दर्शाई गई सीमा तक देय है।

नोट : 34 संपत्ति, संबंध और उपकरण और अमूर्त संपत्ति में शामिल किसी भी संपत्ति के साथ-साथ पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत 31 मार्च 2022 तक बीमा नहीं किया गया है। हालांकि, कंपनी ने बाद में

नोट : 35 खंड रिपोर्टिंग पर लेखा मानक एएस-17 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी मुख्य रूप से कच्चे दूध की बिक्री के एकल व्यवसाय खंड में काम करती है और

नोट : 36 अतिरिक्त निचामक सूचना: अनुपात

अनुपात	मीटर	भाजक	घातु वर्ष	पिछला वर्ष
वर्तमान अनुपात (समय में)	कुल संपत्तियां	कुल मौजूदा देनदारियां	0.63	-
ऋण-इन्विटी अनुपात (समय में)	ऋण में उधार और पट्टे की देनदारियां शामिल हैं	कुल इन्विटी	-	-
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में)	ऋण सेवा के लिए कमाई करों के बाद शुद्ध लाभ + परिचालन + अन्य समायोजन	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती	-	-
इन्विटी अनुपात लाभ (% में)	वर्ष के लिए लाभ बरीयता लाभों (यदि कोई)	औसत कुल इन्विटी	39%	-
इन्वेन्टरी अनुपात	टर्नओवर बेचे सामान लागत	गए औसत सूची	37.41	-
व्यापार ऋण्य कारीबार अनुपात (समय में)	संचालन राजस्व	से औसत व्यापार प्राप्ति	0.77	-
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	शुद्ध खरीद	डेबिट औसत व्यापार देय	#REF!	-
शुद्ध पूंजी कारीबार अनुपात (समय में)	संचालन राजस्व	से औसत कार्यशील पूंजी (यानी कुल वर्तमान संपत्ति-कुल घातु केन्द्रीकृत)	(0.88)	-
शुद्ध लाभ अनुपात (% में)	इस साल का मुताफा	से संचालन से राजस्व	0.82	-
नियोजित पूंजी प्रतिलाभ (% में)	पूंजी पर कर और वित्त लागत से पहले लाभ	नियोजित लागत = कुल मूल्य + लीज देनदारियां + विलंबित कर दायित्व	47%	-
निवेश पर वापसी (% में)	निवेश धन से उत्पन्न आय	ट्रेजरी निवेश में औसत निवेशित फंड	-	-

नोट : 37 प्रबंधन ने सभी संभावित प्रभावों पर विचार किया है, यदि कोई हो, जो संचालन, तरक्ता, पूंजीगत संसाधनों और व्यापार प्राप्ति की वृद्धि मात्रा के परिणामों पर COVID-19 से संबंधित

नोट : 38 पिछले वर्ष के तुलनीय आंकड़े शुद्ध हैं क्योंकि यह कंपनी के संचालन का पहला वर्ष है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह.  
मनवीर सिंह  
निदेशक एवं सीई  
डीआईएन:9442343

ह.  
अंजू देवी  
निदेशक  
डीआईएन:9395092

ह.  
सरोज कुमारी  
निदेशक  
डीआईएन:9395186  
वाराणसी  
26 जुलाई, 2022

ह.  
शिवका सत्यवती  
कंपनी सचिव  
एम. संख्या A45196

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है और एक सुरक्षित कार्यस्थल नीति लागू की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

### **कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी**

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

### **दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

### **सतर्कता तंत्र**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधान कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसके अधिकार) नियम 2013 के नियम 6 और 7 के साथ पठित, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

### **अभिस्वीकृति**

निदेशक मंडल वर्ष के दौरान कंपनी के सदस्यों, बिजनेस एसोसिएट्स और बैंकरों द्वारा उनके निरंतर समर्थन के लिए दिए गए योगदान और समर्थन के लिए अपना ईमानदारी से धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करना चाहता है।

आपके निदेशक भी इस अवसर पर एनआरएलएम, यूपीएसआरएलएम, और एनडीडीबी डेयरी सेवाओं को प्रोत्साहन और निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

बोर्ड कंपनी के सभी कर्मचारियों और सभी संबंधितों के उत्साहपूर्ण सहयोग, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए भी अपनी सराहना करता है, जिसके बिना कंपनी की सर्वांगीण प्रगति और विकास हासिल करना संभव नहीं होता।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

दिनांक:26.07.2022

स्थान: वाराणसी

ह./-

अध्यक्ष



काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सीआईएन: U01409UP2021PTC155262  
पंजीकृत कार्यालय: 9/132-9, सुद्धिपुर, शिवपुर (एयरपोर्ट रोड), वाराणसी, उत्तर प्रदेश -221003  
ईमेल: [info@kasheemilk.com](mailto:info@kasheemilk.com) फ़ोन: [0542-4085526](tel:0542-4085526)

## सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के शेयरधारकों की दूसरी वार्षिक आम सभा निम्नलिखित व्यवसाय को करने के लिए दिनांक 26 अगस्त 2022 (शुक्रवार) को होटल विक्रम पैलेस 66, सेंट्रल जेल रोड, छोटा चुप्पेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221003 में अपरान्ह 12 बजे आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च 2022 को लेखापरीक्षित तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना और अपनाना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प को पारित करना।

"संकल्प किया गया कि 31 मार्च 2022 को लेखा परीक्षित तुलन पत्र, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों का एक हिस्सा बनाने और कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, होना चाहिए और एतद्वारा स्वीकृत और अपनाया जाता है।"

2. श्रीमती अंजू देवी (डीआईएन 09395092), के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करने के लिए जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में अपनाने के लिए।

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के अनुसार, धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान यदि कोई हो, श्रीमति अंजू देवी

(डीआईएन 09395092) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी, और अपात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश नहीं किया जाता है और परिणामी रिक्ति को श्रीमती की नियुक्ति करके भरा जाता है। श्रीमति संगीता देवी (डीआईएन 0009687721) निदेशक के रूप में और जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

3. श्रीमती सरोज कुमारी (डीआईएन 09395186), के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करने के लिए जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में अपनाने के लिए।

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान यदि कोई हो, श्रीमति सरोज कुमारी (डीआईएन 09395186) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अपात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश नहीं करता है और परिणामी रिक्ति को श्रीमती की नियुक्ति करके भरा जाता है। श्रीमति सरिता देवी (डीआईएन 0009687193) निदेशक के रूप में और जिनके कार्यालय की अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

4. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया गया कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम सभा से पहले रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

5. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तनों पर विचार और अनुमोदन करना और यदि उचित समझा जाए, तो विशेष संकल्प के बाद संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

"संकल्प किया गया कि अधिनियम के भाग XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार विशेष रूप से Sec. 378-I, 378ZQ, 378ZR, धारा 14 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान, इसके तहत बनाए गए नियमों सहित, और कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लागू प्रावधान और एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन के साथ, कंपनी के मौजूदा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को निम्नलिखित तरीके से और हद तक बदला जा सकता है:

(1) मौजूदा अनुच्छेद 9.13 को बदला/संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

9.13 i बोर्ड की बैठक के लिए कोरम निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई होगा, जो कम से कम एक निर्वाचित निदेशक और एक विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति सहित न्यूनतम तीन के अधीन होगा। उपरोक्त के बावजूद, निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम के लिए विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी यदि कंपनी के बोर्ड में कोई विशेषज्ञ निदेशक नहीं है।

ii. यदि कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है, तो बैठक को कंपनी के अध्यक्ष द्वारा तय की गई तिथि, समय और स्थान के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तथापि, स्थगित बैठक मूल बैठक की तारीख से सात दिनों के भीतर अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

(2) मौजूदा अनुच्छेद 4.3. iii. परिवर्तित/संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

कोई भी सदस्य जो सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसे कंपनी द्वारा सदस्य के रूप में हटाने के लिए एक लिखित नोटिस दिया जाएगा और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। इसके बाद बोर्ड इस मामले में फैसला लेगा।

हालांकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्य से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंड में छूट दे सकता है।

"आगे संकल्प किया गया कि यह पहले की सभी व्यवस्थाओं का स्थान लेता है।"

"यह भी संकल्प किया गया है कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्यों, गतिविधियों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

ह./-

डॉ मनवीर सिंह

मुख्य कार्यकारी

स्थान: वाराणसी

दिनांक: 26.07.2022

## टिप्पणियाँ

1. वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य खुद के बजाय हाथ दिखाने के साथ-साथ मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी कंपनी का एक सदस्य होना चाहिए। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने वाला लिखत विधिवत पूर्ण, मुहर लगी और हस्ताक्षरित होना चाहिए। को बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। एक खाली प्रॉक्सी फॉर्म इसके साथ संलग्न है।
2. कंपनी में उसकी शेयरधारिता या संरक्षण के बावजूद प्रत्येक सदस्य के पास केवल एक वोट होगा (हाथ दिखाने के साथ-साथ मतदान पर)।
3. इस नोटिस के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:
  - i. निदेशक के पद के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में योग्यता का विवरण शामिल है;
  - ii. 4 फरवरी 2022 को आयोजित पिछली एजीएम का कार्यवृत्त
  - iii. 31 मार्च, 2022 की लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा, निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
  - iv. वित्तीय वर्ष-2022-2023 का बजट भी संलग्न है।
4. सदस्य को कंपनी के खातों या संचालन के बारे में जानकारी की आवश्यकता है या किसी भी प्रश्न को इंडेंट करने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले अग्रेषित करने का अनुरोध किया जाता है।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने फोलियो नंबर और सदस्य कोड का उल्लेख करें।
6. नोटिस में से मद संख्या 5 के संबंध में सभी भौतिक तथ्यों को स्थापित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
7. संलग्न नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान (11:00 बजे से 16:00 बजे के बीच) निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
8. बोर्ड द्वारा अनुशंसित सीमित रिटर्न (लाभांश), यदि बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च 2022 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दिखाई देंगे।
9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ कंपनी को दें।
10. सदस्यों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ए/कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार, घोषणा की तारीख से सात वर्षों के भीतर जिन लाभांशों का दावा नहीं किया गया है, उन्हें निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। (आईईपीएफ)। आईईपीएफ को उक्त राशि के हस्तांतरण के बाद, इस संबंध में आईईपीएफ या कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।
11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी द्वारा जारी अपना पहचान पत्र एजीएम स्थल पर अपनी पहचान के उद्देश्य से लाएं।
12. एजीएम स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA (4) (c) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण

आइटम संख्या. 2 और 3

नाम	व्यवसाय	शैक्षिक योग्यता
1. श्रीमति संगीता देवी	पशुपालन	हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण
2. श्रीमति सरिता देवी	पशुपालन	स्नातक

स्थान: वाराणसी

दिनांक: 26.07.2022

निदेशक मंडल के आदेश से

ह./-

डॉ मनवीर सिंह

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

## व्याख्यात्मक विवरण

मौजूदा अनुच्छेद 9.13 और मौजूदा अनुच्छेद 4.3. कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के iii में एओए के अन्य प्रावधानों या समय-समय पर लागू और संशोधित कानून के अनुरूप लेखों के प्रावधानों को समझने और उन्हें बेहतर ढंग से लागू करने के लिए कुछ बदलावों की आवश्यकता है; जहां कहीं आवश्यक हो एओए के कुछ प्रावधानों में अस्पष्टता को खत्म करने और कंपनी के व्यापार संचालन और प्रबंधन में लचीलापन और आसानी प्रदान करने के लिए।

निदेशक मंडल ने 26.07.2022 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378 I के अनुसार अपेक्षित बहुमत के साथ कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में संशोधन के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसलिए, विशेष संकल्प में विस्तृत प्रस्तावित परिवर्तनों को कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के कुछ मौजूदा प्रावधानों के संशोधन / परिवर्तन के लिए बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाता है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 5 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य के अलावा, किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या संबंधित नहीं हैं।

### **मौजूदा अनुच्छेद 9.13**

i) बोर्ड की बैठक के लिए कोरम निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई होगा, जो कम से कम एक निर्वाचित निदेशक और एक विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति सहित न्यूनतम तीन के अधीन होगा। उपरोक्त के बावजूद, निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम के लिए विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी यदि कंपनी के बोर्ड में कोई विशेषज्ञ निदेशक नहीं है।

### **मौजूदा अनुच्छेद 9.13 को बदला/संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:**

9.13

i) बोर्ड की बैठक के लिए कोरम निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई होगा, जो कम से कम एक निर्वाचित निदेशक और एक विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति सहित न्यूनतम तीन के अधीन होगा। उपरोक्त के बावजूद, निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम के लिए विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी यदि कंपनी के बोर्ड में कोई विशेषज्ञ निदेशक नहीं है।

ii) यदि कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है, तो बैठक को कंपनी के अध्यक्ष द्वारा तय की गई तिथि, समय और स्थान के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तथापि, स्थगित बैठक मूल बैठक की तारीख से सात दिनों के भीतर अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

### **मौजूदा अनुच्छेद 4.3. (iii).**

कोई भी सदस्य जो सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसे कंपनी द्वारा सदस्य के रूप में हटाने के लिए एक लिखित नोटिस दिया जाएगा और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। ऐसा नोटिस होगा पंजीकृत डाक द्वारा सदस्य को उसके अंतिम ज्ञात पते पर भेजा जाता है और पोस्टिंग के पांच दिन बाद तामील माना जाता है। इसके बाद बोर्ड इस मामले में फैसला लेगा।

### **मौजूदा अनुच्छेद 4.3. (iii). परिवर्तित/संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:**

कोई भी सदस्य जो सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसे कंपनी द्वारा सदस्य के रूप में हटाने के लिए एक लिखित नोटिस दिया जाएगा और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। इसके बाद बोर्ड इस मामले में फैसला लेगा। हालांकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्य से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंड में छूट दे सकता है।

**बजट वित्त वर्ष 2022-2023**

<b>बजट - काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड</b>			
<b>क्रम स.</b>	<b>विवरण</b>	<b>माप की इकाई</b>	<b>प्रस्तावित बजट वित्त वर्ष 2022-23</b>
(I)	दूध खरीद मात्रा	(किलोग्राम प्रतिदिन)	33,627
(II)	परिचालन से आय	(रु. लाख में)	5,681.52
(III)	प्रोड्यूसर मूल्य	(रु. लाख में)	5,253.00
(IV)	सहायक मार्जिन	(रु. लाख में)	126.26
(V)	सहायक वृत्ति	(रु. लाख में)	58.65
(VI)	लोजिस्टिक लागत	(रु. लाख में)	279.15
(VII)	दूध खरीद पर अन्य लागत	(रु. लाख में)	437.56
(VIII)	स्थायी लागत	(रु. लाख में)	533.61
(IX)	<b>अनुदान सहायता से पहले दुग्ध संचालन से लाभ/(हानि)</b>	<b>(रु. लाख में)</b>	<b>(1,006.70)</b>
(X)	अनुदान सहायता -दूध परीचालन	(रु. लाख में)	1,137.01
(XI)	<b>अनुदान सहायता के बाद दुग्ध संचालन से लाभ/(हानि)</b>	<b>(रु. लाख में)</b>	<b>130.31</b>
(XII)	अन्य आय	(रु. लाख में)	11.40
(XIII)	कर पूर्व लाभ/(हानि)	(रु. लाख में)	141.71

<b>पूंजीगत (केपेक्स) बजट</b>			
<b>क्रम स.</b>	<b>विवरण</b>	<b>माप की इकाई</b>	<b>प्रस्तावित बजट वित्त वर्ष 2022-2023</b>
<b>A</b>	<b>दूध परिचालन</b>		<b>1,158.54</b>
(I)	एमपीपी सेटअप	(रु. लाख में)	713.85
(II)	बीएमसी सेटअप	(रु. लाख में)	86.52
(III)	एमसीसी सेटअप	(रु. लाख में)	54.00
(IV)	क्लस्टर ऑफिस सेटअप	(रु. लाख में)	20.60
(V)	हेड ऑफिस सेटअप	(रु. लाख में)	50.00
(VI)	आई सी टी	(रु. लाख में)	133.56
(VIII)	बिक्री और विपणन अवसंरचना	(रु. लाख में)	100.00
<b>B</b>	<b>पीईएस ऑपरेशन</b>		<b>73.00</b>
(I)	3 लीटर क्रायो कंटेनर	(रु. लाख में)	8.06
(II)	35 लीटर क्रायो कंटेनर	(रु. लाख में)	18.04
(III)	55 लीटर परिवहन क्रायो कंटेनर	(रु. लाख में)	8.80
(IV)	तरल नाइट्रोजन साइलो	(रु. लाख में)	30.00
(V)	बड़ा सीमन भंडारण कंटेनर	(रु. लाख में)	4.50
(VI)	छोटा सीमन भंडारण कंटेनर	(रु. लाख में)	3.60
<b>I</b>	<b>कुल केपेक्स बजट</b>	<b>(रु. लाख में)</b>	<b>1,231.53</b>
<b>II</b>	<b>कुल केपेक्स अनुदान</b>	<b>(रु. लाख में)</b>	<b>1,231.53</b>

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की शुक्रवार, 4 फरवरी, 2022 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय-  
एटी 9/132-9, सुधीपुर शिवपुर (एयरपोर्ट रोड) 221003 में आयोजित पहली वार्षिक आम सभा का  
कार्यवृत्त।

उपस्थित:

1.	श्रीमती अंजू देवी	अध्यक्ष और शेयरधारक
2.	श्रीमति बबीता	निदेशक और शेयरधारक
3.	श्रीमति ममता सिंह	निदेशक और शेयरधारक
4.	श्रीमति अनुराधा	निदेशक और शेयरधारक
5.	श्रीमति सरोज कुमारी	निदेशक और शेयरधारक
6.	श्रीमति विंदु देवी	शेयरधारक
7.	श्रीमति पूजा सिंह	शेयरधारक
8.	श्रीमति आरती	शेयरधारक
9.	श्रीमति शीला देवी	शेयरधारक
10.	श्रीमति राधिका देवी	शेयरधारक
11.	श्रीमति अनीता देवी	शेयरधारक
12.	डॉ मनवीर सिंह	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

कंपनी की पहली वार्षिक आम सभा (एजीएम) के उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार, 110 इक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 11 शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA (9) के प्रावधानों के अनुसार एक वैध कोरम है।

ए. श्रीमती अंजू देवी ने बैठक के लिए अध्यक्ष का पद संभाला और घोषणा की कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार कोरम मौजूद है। प्रॉक्सी का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर और निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर एजीएम स्थल पर उपलब्ध था और निरीक्षण के लिए खुला था। इसके बाद सभा को आगे की कार्यवाही के लिए बढ़ाया गया।

बी. अध्यक्ष ने कंपनी की पहली वार्षिक आम सभा में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। इसके बाद सभा को आगे की कार्यवाही के लिए बढ़ाया गया।



सी. उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से, सदस्यों को पहले से ही प्रसारित पहली वार्षिक आम सभा की सूचना को पढ़ा गया।

डी. इसके बाद, अध्यक्ष ने अपने भाषण में सदस्यों को काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के उत्तरप्रदेश के वाराणसी जिले में गठन की पृष्ठभूमि और कारणों के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डेयरी सेवाओं (एनडीडीबी डेयरी सर्विसेस) और एनआरएलएम को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने शुरुआत में दूध खरीद प्रणाली स्थापित करने और कंपनी की स्थापना और विभिन्न अन्य सेवाओं के लिए सक्रिय सहायता प्रदान करने के लिए पहल की थी।

सदस्यों को संबोधन समाप्त करने के बाद, अध्यक्ष ने बैठक को पहली एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने का निर्देश दिया।

साधारण व्यवसाय:

**1. कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर विचार करना और उसे अपनाना ।**

श्रीमती पूजा सिंह (फोलियो संख्या :05)ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया:

संकल्प संख्या **1<sup>st</sup> AGM: 04.02.2022:1/2021-22**

"संकल्प लिया गया कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी रजिस्ट्रार, कानपुर के पास पंजीकृत है और जिन्हें बैठक के समक्ष रखा गया है एतद्वारा अपनाया जाता है।"

श्रीमती बबीता (फोलियो संख्या: 02) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया ।

**2. श्रीमती सरोज कुमारी (डीआईएन 09395186), के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और नियुक्त करना, जो कि पद रिक्त करती है, और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है।**

श्रीमती ममता सिंह (फोलियो संख्या: 06)ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया:

संकल्प संख्या **1<sup>st</sup> AGM: 04.02.2022:2/2021-22**

"संकल्प लिया गया कि श्रीमती सरोज कुमारी (डीआईएन 09395186), कंपनी की प्रथम निदेशक, जो कंपनी की पहली वार्षिक आम सभा में अपना ऑफिस वेकेट करती है और पात्र होने के कारण खुद को

पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है, को कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है। ”

श्रीमती अनीता देवी (फोलियो संख्या: 11) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया ।

**3. श्रीमती अंजू देवी (डीआईएन 09395092), के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और नियुक्त करना, जो कि पद रिक्त करती है, और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है।**

श्रीमती सरोज कुमारी (फोलियो संख्या: 04)ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया:

**संकल्प संख्या 1<sup>st</sup> AGM: 04.02.2022:3/2021-22**

“**संकल्प लिया गया कि** श्रीमती अंजू देवी (डीआईएन 09395092), कंपनी की प्रथम निदेशक, जो कंपनी की पहली वार्षिक आम सभा में अपना ऑफिस वेकेट करती है और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है, को कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है। ”

श्रीमती राधिका देवी (फोलियो संख्या: 10) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया ।

**4. श्रीमती अनुराधा (डीआईएन 09395183), के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और नियुक्त करना, जो कि पद रिक्त करती है, और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है।**

श्रीमती पूजा सिंह (फोलियो संख्या: 05)ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया:

**संकल्प संख्या 1<sup>st</sup> AGM: 04.02.2022: 4/2021-22**

“**संकल्प लिया गया कि** श्रीमती अनुराधा (डीआईएन 09395183), कंपनी की प्रथम निदेशक, जो कंपनी की पहली वार्षिक आम सभा में अपना ऑफिस वेकेट करती है और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है, को कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है। ”

श्रीमती बबीता (फोलियो संख्या: 02) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया ।

5. श्रीमती ममता सिंह (डीआईएन 09395184), के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और नियुक्त करना, जो कि पद रिक्त करती है, और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है।

श्रीमती अंजू देवी (फोलियो संख्या: 01)ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया:

संकल्प संख्या 1<sup>st</sup> AGM: 23.12.2021: 5/2021-22

“संकल्प लिया गया कि श्रीमती ममता सिंह (डीआईएन 09395184), कंपनी की प्रथम निदेशक, जो कंपनी की पहली वार्षिक आम सभा में अपना ऑफिस वेकेट करती है और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है, को कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है। ”

श्रीमती पूजा सिंह (फोलियो संख्या: 05) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया ।

6. श्रीमती बबीता (डीआईएन 09395185), के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और नियुक्त करना, जो कि पद रिक्त करती है, और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है।

श्रीमती विंदु देवी (फोलियो संख्या: 3)ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया:

संकल्प संख्या 1<sup>st</sup> AGM: 04.02.2022:6/2021-22

“संकल्प लिया गया कि श्रीमती बबीता (डीआईएन 09395185), कंपनी की प्रथम निदेशक, जो कंपनी की पहली वार्षिक आम सभा में अपना ऑफिस वेकेट करती है और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है, को कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है। ”

श्रीमती आरती (फोलियो संख्या: 07) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया ।

7. 11 नवंबर 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए कंपनी के बजट अनुमानों पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना।

श्रीमती आराधना (फोलियो नं.: 08) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या **पहली एजीएम: 04.02.2022:7/2021-22**

"संकल्प किया गया कि 11 नवंबर 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट अनुमान, जैसा कि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

श्रीमती शीला देवी (फोलियो संख्या: 09) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**8. कंपनी के गठन के लिए एनएनडीबी डेयरी सर्विसेज़ द्वारा 51,112/- रुपये की प्रारंभिक खर्च की राशी पर विचार और अनुमोदन करने और उन्हें प्रतिपूर्ति के लिए।**

श्रीमती अंजू देवी (फोलियो संख्या: 01) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या **1<sup>st</sup> AGM: 23.12.2021:8/2021-22**

"संकल्प किया गया कि प्रारंभिक खर्च रु. 51,112/-/- (अट्ठानबे हजार एक सौ इकतालीस रुपये मात्र) की राशी एनएनडीबी डेयरी सर्विसेज़ द्वारा कंपनी के निगमन के संबंध में प्रारंभिक व्यय के तौर पर की गयी राशी जैसा कि मीटिंग के समक्ष रखा गया है और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रारंभिक व्यय की प्रतिपूर्ति एनएनडीबी डेयरी सर्विसेज़ को की जाए।

श्रीमती राधिका देवी (फोलियो नं.: 10) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया ।

**9. कंपनी के प्रथम लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उसे अपनाना।**

श्रीमती पूजा सिंह (फोलियो संख्या:05) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या **1<sup>st</sup> AGM: 04.02.2022:9/2021-22**

"संकल्प किया कि, मैसर्स एन.आर. एंड असोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, इस पहली वार्षिक आम सभा के समापन से कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में ऐसे पारिश्रमिक पर जैसा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष

के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, कंपनी की छठी वार्षिक आम सभा तक नियुक्त किए जाते हैं।

श्रीमती बबीता (फोलियो संख्या: 02) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया ।

**10. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उसे अपनाना:**

श्रीमती शीला देवी (फोलियो संख्या: 09) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तावित किया:

**संकल्प संख्या 1<sup>st</sup> AGM: 04.02.2022:10/2021-22**

"संकल्प किया गया है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XX1A के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378H, 378ZQ, 378ZR और अन्य लागू प्रावधान, तथा यदि कोई हो, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमित होने के साथ-साथ उस समय के लिए लागू) और कंपनी के मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लागू प्रावधानों सहित, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रुपये 10,00,000/- (दस लाख रुपये) जो कि रुपये 100/- (सौ रुपये) वाले 10,000/- इक्विटी शेयरों में विभाजित है को रुपये 100/- (सौ रुपये) वाले 4,90,000 (चार लाख नब्बे हजार) अतिरिक्त इक्विटी शेयर जारी करके रुपये 100/- (सौ रुपये) वाले 5,00,000/- (पाँच लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित करके रुपये 50,000,000/- (रुपये पाँच करोड़) रुपये की जाती है ।

आगे यह भी संकल्प किया गया है कि कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में पुनर्संख्यंकित अनुच्छेद VI के स्थान पर निम्नलिखित नए अनुच्छेद VI से प्रतिस्थापित करके बदला जा सकता है।

"VI. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रुपये 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रुपये) है जो कि रुपये 100/- (सौ रुपये) वाले 5,00,000/- (पाँच लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।"

आगे यह भी संकल्प किया गया है कि उक्त को प्रभावी रूप देने के लिए, मुख्य कार्यकारी को ऐसे सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक और समीचीन समझे और किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह को हल करने के लिए जो इस संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं।

श्रीमती आरती (फोलियो नं.:07) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

### **विशेष संकल्प**

**11. कंपनी के मुख्य उद्देश्यों पर विचार करना और उनमें बदलाव करना**

श्रीमती ममता सिंह (फोलियो नं.:06) ने एक विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या **1<sup>st</sup> AGM: 04.02.2022:11/2021-22**

“संकल्प किया जाता है कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XX1-A के प्रासंगिक प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार (साथ में किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन के साथ) कंपनी के मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लागू प्रावधान और केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन, कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के मौजूदा क्लॉज III ए को बिंदु 5 के रूप में निम्नलिखित नया उद्देश्य जोड़कर और मौजूदा बिंदु 5 नए बिंदु 6 के रूप में को फिर से नंबर देकर बदल दिया जाता है।

निम्नलिखित नए उद्देश्य को बिंदु 5 के रूप में जोड़कर और मौजूदा बिंदु 5 को नए बिंदु 6 में पुनः क्रमांकित करके बदल दिया गया है।

“5. प्राथमिक उत्पाद और उसके व्युत्पन्नो की खरीद, उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री, व्यापार, आयात, निर्यात आदि का व्यवसाय को जारी रखना, जिसमें मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों के खाद्य तेल, फलों और सब्जियों तक सीमित नहीं है, उसी का विपणन करना और उससे किसी भी गतिविधि का हिस्सा एवं आकस्मिक गतिविधियों से निपटना।”

आगे यह भी संकल्प किया गया है कि मुख्य कार्यकारी ऐसे सभी कदम उठाने और वे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत है और पूर्ण स्वत्वाधिकार जो आवश्यक प्रतीत होती है और इस संदर्भ में उत्पन्न किसी प्रश्न, समस्या या शंका के समाधान हेतु उचित है।”

12. बैठक में लेन-देन करने के लिए कोई अन्य कार्य नहीं होने के कारण, अध्यक्ष को धन्यवाद संकल्प के साथ बैठक संपन्न हुई।

दिनांक: 30.03.2022

अंजू देवी  
अध्यक्ष

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सीआईएन: U01409UP2021PTC155262  
पंजीकृत कार्यालय: 9/132-9, सुद्धिपुर,शिवपुर (एयरपोर्ट रोड), वाराणसी ,उत्तर प्रदेश -221003  
ईमेल: [info@kasheemilk.com](mailto:info@kasheemilk.com) फ़ोन: 0542-4085526

**उपस्थिति पर्ची (ATTENDANCE SLIP)**

फोलियो संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--

सदस्या कोड

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं, 26 अगस्त 2022 ( शुक्रवार ) को काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की दूसरी वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करती हूँ ।

अंशधारक का नाम	
प्रतिनिधि का नाम ( अगर प्रतिनिधि सभा में भाग ले रही हो तो )	

अंशधारक / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

\*जो लागू नहीं होता उसे काट दे

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सीआईएन: U01409UP2021PTC155262  
पंजीकृत कार्यालय: 9/132-9, सुद्धिपुर, शिवपुर (एयरपोर्ट रोड), वाराणसी, उत्तर प्रदेश -221003  
ईमेल: [info@kasheemilk.com](mailto:info@kasheemilk.com) फ़ोन: [0542-4085526](tel:0542-4085526)

**प्राप्ति रसीद**

फोलियो संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--

मैं.....निवासी....., काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्या हूँ | मैंने कंपनी द्वारा भेजी गयी दूसरी वार्षिक आम सभा का नोटिस सभी अनुलग्नको सहित प्राप्त कर लिया है |

सदस्या के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

दिनांक.....

स्थान.....



## प्रतिनिधि फॉर्म ( एमजीटी-11)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार ]

सीआईएन: U01409UP2021PTC155262

कंपनी का नाम: काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 9/132-9, सुद्धिपुर, शिवपुर (एयरपोर्ट रोड), वाराणसी ,उत्तर प्रदेश -221003

सदस्य का नाम	:		शेयरों की संख्या	:	
पंजीकृत पता	:		फोलियो संख्या	:	
ईमेल	:		सदस्य कोड	:	

मैं/हम काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्य होने के नाते एतद्वारा नियुक्त करते हैं

क्र.सं.	नाम:	पता	ईमेल:	फोलियो संख्या
1				
2				

को शुक्रवार, 26 अगस्त 2022 अपराह्न 12:00 बजे होटल विक्रम पैलेस 66, सेंट्रल जेल रोड, छोटा चुप्पेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221003 ,में होने वाली दूसरी वार्षिक आम सभा में, मैं मेरी तरफ से प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ और उसके किसी भी स्थगन पर ऐसे संकल्पों के संबंध में जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

सामान्य संकल्प :

क्र.सं.	संकल्प	के समर्थन में	के विरुद्ध
1.	31 मार्च 2022 को लेखापरीक्षित तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना और अपनाना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प को पारित करने के लिए।		

2.	श्रीमती अंजू देवी (डीआईएन 09395092), के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करने के लिए जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में अपनाने के लिए।		
3.	श्रीमती सरोज कुमारी (डीआईएन 09395186), के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करने के लिए जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में अपनाने के लिए।		
4.	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने के लिए।		

**विशेष संकल्प:**

क्र.सं.	संकल्प	के समर्थन में	के विरुद्ध
5.	कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तनों पर विचार और अनुमोदन करना और यदि उचित समझा जाए, तो विशेष संकल्प के बाद संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पारित करने के लिए।		

हस्ताक्षर तिथि:

सदस्य के हस्ताक्षर:

प्रॉक्सि होल्डर के हस्ताक्षर:

रूपये एक का रेवेन्यु टिकट लगाये
---------------------------------------

नोट: ध्यान रहे की प्रतिनिधि फॉर्म ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर पहुंचना आवश्यक है तथा प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य है |